

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, पाली (जिला-पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 123/2021

अनवान

सरकार जरिये तहसीलदार, पाली

बनाम

आदेश

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नंबर 286/2021

नगर परिषद पाली वगैरह

निर्णय दिनांक-30/07/21

(अंतर्गत धारा 136,131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी तहसीलदार, पाली के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल- पाली। व भू.अ. निरीक्षक- पाली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पाली की अनुशंषा के आधार पर तहसील क्षेत्र पाली में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग, राजस्थान निर्देशानुसार भू-अभिलेखों की डिजिटাইजेशन हेतु संचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा स्थिति की अनुरूपता के लिए मौजा एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तरमीम कार्य में अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में मौजा ग्राम पाली। तहसील- पाली, जिला- पाली की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं खातेदारान् के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अप्रभावित रहते हुए बदस्तुर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय आवश्यक समझे तो संबंधित सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के तहत खसरा एकीकरण

मौजा ग्राम- पाली। पटवार मण्डल- पाली। भू.अ.नि.- पाली, तहसील-पाली जिला-पाली

वर्तमान खाते का विवरण

शुद्धि की प्रविष्टि

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण
680	963	25.15	गै.मु.आबादी	नगर परिषद पाली		963	53.17	गै.मु.आबादी	नगर परिषद पाली
	963/4	8.00	गै.मु.आबादी	(धारा 90 बी के तहत घोषित					(धारा 90 बी के तहत घोषित
	963/5	13.12	गै.मु.आबादी	आबादी)					आबादी)
	963/6	6.10	गै.मु.आबादी						
योग	04	53.17	गै.मु.आबादी			01	53.17	गै.मु.आबादी	

नोट- उपरोक्तानुसार खसरा नम्बरान को खसरा नम्बर 963 में एकीकरण करने के आदेश दिये जाते हैं।

1. नियमानुसार लगान दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

(देशल दान)

आई.ए.एस.

सहायक कलेक्टर एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, पाली